ई-फाइल सं.-11012/9/2015/वाटर-1

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथा मंजिल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड़
नई दिल्ली-110003
दिनांक- 12 मई, 2015

सेवा में,
सूची के अनुसार

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) का "की-रीसोर्स सेन्टर" बनाने के लिए एजेंसियों का पैनल बनाना।

अपने प्रस्ताव तथा बाद में दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को इस मंत्रालय में अपने प्रस्तुतीकरण को देखें। यह सूचित किया जाता है कि सूची में शामिल एजेंसियों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) के अधीन "की-रिसोर्स सैन्टर (केआरसी) के रूप में पैनल बद्ध किया गया है। इसके लिए शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

I. कार्य का क्षेत्र

- पीएचईडी अभियंताओं, पीआरआई प्रतिनिधियों, मास्टर प्रशिक्षकों और अन्य हिस्सेदारों के ज्ञान, कौशल और आचार-व्यवहार को उन्नत करना।
- प्रभावी एवं स्थाई रूप में सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षकों को समझदारी से और व्यावसायिक रूप से तैयार करना।
- नई तकनीकों और परिवर्तनों के बारे में कर्मचारियों को अपडेट रखना और कर्मचारियों तथा संगठनों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक व्यावसायिक ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाना।
- व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं समर्थ बनाना।
- उठने वाले मामलों एवं चुनौतियों के साथ आचार-व्यवहार संबंधी रीओरिएन्टेशन को बढ़ावा, ग्रामीण समुदाय के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, ग्रामीण समुदाय के मामलों और समस्याओं पर ध्यान देना तथा उन्हें पेयजल सुविधाओं से संबंधित योजनाओं, कार्यान्वयन एवं मॉनीटर करने की प्रक्रिया में शामिल करना।
- व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं राजनैतिक वातावरण जिसमें इसे कार्यान्वित किया जाना है, को संवेदनशील/सुग्राही बनाना।

- केंद्र एवं राज्य के स्तर पर शुरू किए गए अन्य संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी के बारे में ज्ञान और कौशल को बढ़ाना।
- कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी डिवलपमेंट यूनिट (सीसीडीयू) की क्षमता में वृद्धि करना।

II. अनुबंध की अवधि

- "की-रीसोर्स सैन्टर्स" का पाँच वर्ष की अवधि के लिए चयन किया जायेगा। जब भी आवश्यकता होगी "न्यू की रीसोर्स सैन्टर्स" का चयन किया जायेगा।
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के पास केआरसी के रूप में एक संगठन/संस्था के दर्जे को अग्रिम रूप से तीन महीने पहले सूचित कर के समाप्त करने का अधिकार है तथा केआरसी खातों का निपटान करेगा। सौंपे गए कार्य को पूरा करेगा तथा विभाग को रिपोर्ट करेगा।

III. वित्तीय शर्तें

भारत सरकार राष्ट्रीय "की-रीसोर्स सैन्टर्स" को 100% ग्रांट आधार पर धनराशि देगी। यह धनराशि अनुमोदित एएपी पर आधारित होगी। धनराशि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दी जाएगी:

- राज्य और जिला स्तरीय पदाधिकारियों, पीआरआई सदस्यों, मास्टर प्रशिक्षकों, एनजीओ के सदस्यों, सीबीओ आदि के प्रशिक्षण, ओरियन्टेशन तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- राज्य के कम्युनिकेशन एंड कपैसिटी डिवलपमेंट यूनिट्स (सीसीडीयू) का तकनीकी मार्गदर्शन करना।
- सुरक्षित पेयजल से संबंधित मामलों पर वर्कशाप, सेमिनार, विचार-गोष्ठियों, गोल-मेज विचार विमर्श, कान्फ्रेंस, बैठकें आयोजित करना।
- केस-अध्ययन, अध्ययन पर विचार करने, अनुसंधान कार्य आदि के दस्तावेज तैयार करना।
- बाहर जाने के लिए रीसोर्स सैन्टर कार्मिकों और विशेषज्ञों के टीए/डीए, मानदेय, व्यावसायिक शुल्क को देने के लिए।
- कुल बजट की अधिकतम 10%, अदा किए जाने वाले कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, की दर पर "की रीसोर्स सैन्टर्स के संस्थागत प्रभार।
- ग्रामीण पेयजल सैक्टर के लिए "की रीसोर्स सैन्टर्स" (केआरसी) द्वारा शुरू की विभिन्न गतिविधियों को फंड देने के लिए लागत मानक का विवरण केआरसी गाइड लाइंस पर प्रस्तुत है।

इस पत्र के जारी करने के सात दिनों में इस मंत्रालय को स्वीकृति पत्र भेज दें।

(संध्या सिंह)

संयुक्त सचिव (एमएण्डई/स्टैट)

संलग्न:- गाइड लाइन "की-रीसोर्स सैन्टर (केआरसी)" ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता के पीपीएस

सयुंक्त सचिव (स्वच्छता)/ सयुंक्त सचिव (जल) केपीएस

निदेशक (जल)/ निदेशक (स्वच्छता)/ निदेशक (वित्त)

निदेशक (एनआईसी) को एमडीडब्ल्यूएस की वैबसाइट पर इस पत्र को अपलोड करने के लिए

एजेंसियों की सूची

1. श्री अजय सिन्हा सी.ओ.ओ
   फीडबैक फाउंडेशन
   डब्ल्यू-9/3, दूसरी मंजिल, डीएलएफ फेस-III
   गुड़गाँव-122002
2. श्री शैलेश श्रीवास्तव सीईओ
   एएसआरए सामाजिक लोक कल्याण समिति-सैनीटेशन
   21/3, मोती बंगलो कालोनी
   देवास (म.प्र.)
3. श्री एल.के वासवानी, निदेशक
   केआईआईटी विश्वविद्यालय
   कृष्णा कैम्पस (कैम्पस-7)
   एटी/पीओकेआईआईटी विश्वविद्यालय
   भुवनेश्वर-751024
4. डॉ. के बालाचन्द्रा कुरूप
   कार्यक्रम निदेशक
   इन्टरनैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मनैजमेंट (आईआईडब्ल्यूएम)
   64, समाज सेवा न्यास बिल्डिंग
   ई-8 एक्सटेंशन, अरेरा कालोनी,
   भोपाल-462039

5. डॉ.एस.के. श्रीवास्तव

निदेशक

सपोर्ट फॉर इम्पलीमेंटेशन एंड रिसर्च (एसआईआर)

एस-4, दूसरी मंजिल, करामत काम्पलैक्स

निशातगंज

लखनऊ-226006

6. श्री राजेश पाई

निदेशक

कंसोर्टियम फार देवात्स डिसेमिनेशन (सीडीडी) सोसाइटी

सर्वे न. 205, ग्राउंड फ्लोर (भूतल)

सामने-बीड़ी वर्कर्स कालोनी, कोमाघाट रोड़,

बन्देमथ, कंगेड़ी सटैलाइट टाउन

बंगलौर-560060

7. श्री सतीश लोनारे

सचिव

एश्वर्या बहुउद्देशीय संस्थान

167, सिद्धार्थ नगर, टेका

नागपुर-17

8. श्री प्रखर

प्रबंधक

स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट

एफ-84, गांधी नगर

जिला-उन्नाव-209801

9. डॉ. के विजया लक्ष्मी

उपाध्यक्ष

डिवलैपमेंट आल्टरनेटिव्स

बी-32, तारा (टीएआरए) क्रिसेंट कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया

नई दिल्ली-110016

(कुल नौ एजेंसियाँ)